ओडिशा के लिए कृषि कार्यसूची - मुद्दे तथा चुनौतियाँ*

हारून आर. खान

ओडिशा युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नॉलोजी (ओयूएटी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा ओडिशा सरकार के सक्रिय सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित इस अति महत्त्वपूर्ण "कृषि-कॉनक्लेव" में भाग लेकर मैं बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर कार्यालय तथा ओयूएटी दोनों अपना स्वर्णजयन्ती वर्ष मना रहे हैं। सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास तथा विशेषकर कृषि के विकास के 50 वर्ष। राज्य के कृषि क्षेत्र को प्रेरणा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को इसी तथ्य से देखा जा सकता है कि 1962 में हमने भुवनेश्वर में केवल एक ही विभाग - कृषि ऋण विभाग (एसीडी) से अपने परिचालन शुरु किए। योजना आयोग के इस सुझाव के अनुसरण में कि देश में विशिष्टतः कृषि शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाए भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) की स्थापना की गई। नाबार्ड और राज्य सरकार की सहायता से दो महान संस्थाएं, एक ही लक्ष्य के प्रति कार्यरत हैं। यह 'कॉनक्लेव' इस बात का महान उदाहरण है कि कैसे ओडिशा के कृषि विकास के लिए सभी स्टेक होल्डर्स जैसे किसान, किसानों के संगठन, शोधकर्ता, बैंक, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, गैर सरकारी संगठन तथा सरकारी विभाग/एजेन्सियां, इस साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मंच पर एक साथ आ खड़े हुए हैं। संभवतः यही समय है जब हमें राज्य के कृषि विकास में तेज़ी लाने के लिए अपनी कार्यनीतियों, नीतियों तथा पर्सपेक्टिव्ज़ का पुनर्मूल्याकन करना चाहिए और मुझे यकीन है कि यह कॉनक्लेव हमें मुद्दों और चुनौतियों पर गहन चर्चा तथा ठोस भावी कार्य-योजना बनाने के लिए आवश्यक मंच उपलब्ध करवाएगा।

2. इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण भारत को, विकास और रूपान्तरण प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग होना है। परिणामतः कृषि नीति निर्माण को, देश की समावेशित वृद्धि कार्यनीति तथा विकास एजेंडे के केन्द्र में रहना है। आज की मेरी प्रस्तुति में मैं कृषि क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका, कृषि विकास संबंधी मुद्दों, ओडिशा में आर्थिक वृद्धि और कृषि विकास संबंधी हाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख करूंगा और स्वोट विश्लेषण के फ्रेमवर्क में, राज्य के कृषि क्षेत्र संबंधी मुद्दों और चुनौतियों को, परिरेखित करूंगा तथा भावी चुनौतियों पर अपना मंतव्य प्रकट करूंगा।

क. समावेशित विकास के लिए कृषि क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की भूमिका

3. देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्य कीमतों को स्थिर रखना तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन संबंधी ज़रूरतों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना रहा है। कई अन्य केन्द्रीय बैंकों के विपरीत अपनी स्थापना से ही भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और सुविधाएं प्रदान करवाना एक बड़ा उद्देश्य रहा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात को व्यक्त किया था जब उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की केन्द्रीय भूमिका पर बल देते हुए कहा था कि "अन्य सब इंतज़ार कर सकते हैं पर कृषि नहीं। "समावेशित वृद्धि कार्यनीति" के लक्ष्य को पाने के लिए रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की पहुंच अंदर गांवों तक बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों में और अधिक बढ़ोतरी की है। सूदखोरों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से अनौपचारिक माध्यमों से कर्ज़ लेने से जो खतरे पैदा होते हैं उन्हें दूर करने के लिए देहाती क्षेत्र खासकर कृषि में औपचारिक वित्त की कवरेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। रिज़र्व बैंक, शाखा बैंकिंग तथा साथ ही अन्य वैकल्पिक मॉडलों के जरिये, बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसलिए समावेशित वृद्धि संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

* 23 फरवरी 2012 को भुवनेश्वर में "ओडिशा के लिए कृषि एजेन्डा "विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री हारुन आर. खान द्वारा दिया गया मुख्य अभिभाषण। श्री.के. के.गुप्ता, नाबार्ड, भुवनेश्वर, श्री बी.एस.चौधरी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर तथा श्री सूरज एस. एवं श्री सुरजीत बोस", भारतीय रिज़र्व बैंक मुम्बई द्वारा दिये गए योगदान की वक्ता द्वारा सराहना की जाती है।

ओडिशा जैसे राज्य में वित्तीय समावेशन अभियान बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ कि कुल श्रम शक्ति का 60 से अधिक प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगा है, जहाँ कि विभिन्न कारणों से विकास में इसके योगदान में गिरावट आ रही है।

4. ऋण समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। यहां यह महत्त्वपूर्ण है कि वित्त एक आवश्यक इनपुट है जो कि खेती के लिए आवश्यक अन्य सभी स्रोतों को कमाण्ड करता है। इसलिए हमारी यह परंपरागत रीति कि "किसान बैंकों के पास जाएं और उन्हें फसल ऋण प्रदान किया जाय" पर्याप्त नहीं होगी। किसानों को कई प्रकार की सहायता देने के लिए, बैंकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जैसी कि उन्होंने हरित क्रांति के दिनों में निभाई थी। वस्तुतः 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन ऋण उपलब्ध करवाना भी था। केवल ब्याज दर ही महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि किसान को कितनी बार बैंक आना पड़ता है ओर जटिल दस्तावेज़ भरने पड़ते हैं। शाखा बैंकिंग तो चलती रहेगी ही, इसके अलावा हमें बिज़िनेस फेसिलिटेटर्ज़ (बीएफ) तथा बिज़िनेस कॉरस्पोन्डेन्ट्स (बीसी) की भी सेवाएं लेनी पड़ेगी ताकि कारोबार में निरन्तर बढ़ोतरी हो। रिज़र्व बैंक लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि बैंकों को अपना फैलाव बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के निरंतर प्रयोग की जरूरत है। लेन-देन-लागतों को घटाना है, केवाइसी के संबंध में अंतर्निहित सुरक्षोपाय करने हैं तथा समुचित कर्मिष्ठता बरतनी है। प्रक्रिया/दस्तावेजों के सरलीकरण तथा भूमिरिकॉर्डों को डिजिटाइज़ करने, इलेक्ट्रॉनिक सर्च तथा 'लियन-सुविधा' जैसी जन सेवाओं के प्रदान करने से, वित्तीय सेवाओं को गैर-झंझट तरीके से प्रदान किया जा सकेगा। क्रेडिट ब्यूरोज़ को भी, उधार लेने वालों का कर्ज़ इतिहास प्रदान करना होगा ताकि ग्राहकों की प्रभावी 'ड्यूडिलिजेन्स' को सुगमकारी बनाया जा सके। असल में औपचारिक तथा अर्द्ध-औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा टिकाऊआधार पर संपूर्ण वित्तीय सेवाएं, जैसे ऋण (क्रेडिट), बचत, बीमा तथा धन-प्रेषण, प्रदान करने के कार्य ने कारोबार-वृद्धि तथा इन संस्थाओं की लाभप्रदता तथा साथ ही लक्ष्य ग्राहकवर्ग के आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में काफी महत्ता हासिल कर ली है। संक्षेप में आगामी दिनों में, ग्रामीण बैंकिंग की गतिविधियों में तेजी और परिवर्तन आने की संभावना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय सेवाओं के अलावा, क्रेडिटप्लस दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषकों के विकास तथा कृषि क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए अन्य पूरक नीतियाँ और संसाधन भी जरूरी हैं।

ख. ओडिशा के विकास में हाल की प्रवृत्तियाँ:

आखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य

5. चूंकि ओडिशा की काफी बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है अतः यह प्रदेश प्रमुखतः कृषि अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। 2010-11 में ओडिशा का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी), अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) का लगभग 2.3 प्रतिशत था।[1] 2005-06 से 2009-10 की पांच वर्षीय अवधि में

सारणी 1 : आर्थिक वृद्धि - भारत की तुलना में ओडिशा

क्षेत्र	वृद्धि दरें				एनएसडीपी में हिस्सा			
	2000-01 से 2004-05 (औसत)*	2005-06 से 2009-10 (औसत)	2009-10	2010-11	2000-01 से 2004-05 (औसत)*	2005-06 से 2009-10 (औसत)	2009-10	2010-11
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	3.5	3.9	9.7	0.1	29.7	22.4	21.1	20.6
	(1.3)	(2.9)	(0.4)	(6.5)	(21.8)	(17.3)	(15.2)	(15.0)
उद्योग	12.6	6.3	-2.6	-10.8	15.0	18.9	17.3	15.1
	(4.2)	(8.1)	(7.7)	(6.4)	(17.4)	(16.9)	(16.6)	(16.3)
सेवाएं	6.3	10.3	11.6	6.6	55.3	58.7	61.7	64.3
	(6.8)	(10.2)	(10.0)	(9.3)	(60.8)	(65.8)	(68.1)	(68.7)
एनएसडीपी	**6.1**	**7.9**	**8.5**	**2.2**				
अखिल भारतीय एनडीपी	**5.1**	**8.5**	**8.1**	**8.4**	**100**	**100**	**100**	**100**

*: 2000-01 से 2004-05 हेतु ओडिशा के आंकड़े पुराने आधार (1999-2000) पर हैं
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर एनडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि और हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

[1] ओडिशा के लिए 2004-05 की कीमतों पर एनएसडीपी के डिसएग्रिगेटिड आंकड़े, सीएसओ से 2010-11 तक के उपलब्ध हैं।

ओडिशा में वृद्धि गत, पांच वर्षों की 6.1 प्रतिशत की तुलना में, 7.9 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र के समर्थन से, प्रमुखतः मज़बूत सेवा क्षेत्र की वजह से, संभव हो पाई। 2010-11 के दौरान एनएसडीपी वृद्धि तेजी से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गई जो कि उस वर्ष सभी राज्यों के मुकाबले न्यूनतम वृद्धि थी और अखिल भारतीय एनडीपी विकास की प्रवृत्ति के एकदम उलट थी (सारणी-1)। अखिल भारतीय स्तर के विपरीत ओडिशा में एमएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र का हिस्सा अधिक है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

6. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो मुख्यतः कृषि और सेवा क्षेत्रों में तेज़ वृद्धि के कारण 2009-10 में ओडिशा में, एनएसडीपी, अन्य सभी पूर्वी राज्यों को मिलाकर भी उनके मुकाबले तेज़ी से बढ़ी। एनएसडीपी के हिस्से की दृष्टि से देखें तो अखिल भारतीय स्तर तथा समूचे पूर्वी राज्यों की तुलना में ओडिशा की स्थिति कृषि और उद्योग के मामले में ऊँची थी जबकि सेवा क्षेत्र के मामले में कमज़ोर थी (सारणी 2)।

ग. कृषि विकास संबंधी चिंताएं

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में

7. आज कृषि इन परिप्रेक्ष्यों में वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है (क) ख़ासकर कृषि जिंसों में चढ़ती प्रवृत्ति के साथ मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव (ख) खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंताएं, जिसके कारण व्यापारिक प्रतिबंध लग रहे हैं (ग) हाल ही की वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ (घ) आगामी दो दशकों में कृषिगत भूमि की वृद्धि में कमी का पूर्वानुमानित दर (ङ) बढ़ती मांग के संदर्भ में खाद्य, आहार तथा ईंधन हेतु कृषि उत्पादों की आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई, (च) जलवायु परिवर्तन, जो कृषि उत्पादन पर दबाव डाल रहे हैं। इस प्रकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना एक वैश्विक चुनौती बन गई है और कम आय वाले तथा विकासशील देशों के लिए तो यह चुनौती और भी कड़ी है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में

8. भारत में विश्व का 2.4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है और यह दलहन, चाय तथा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों, सब्ज़ियों तथा गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ने का विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक है। परन्तु यह विश्व की 16.2 प्रतिशत जनसंख्या को पोषित करता है। देहाती इलाकों में जोतें छोटी होने तथा गरीबी के कारण, कृषि नीति निर्माताओं की चुनौतियों के स्तर और आयाम बहुत बढ़ गए हैं। गत 15 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुई 2-3 प्रतिशत की वृद्धि के संदर्भ में (9वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 प्रतिशत 10वीं पंच वर्षीय योजना में 2.4 प्रतिशत तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3.2 प्रतिशत) 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को रेखांकित करता है।

9. हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाली चार प्रमुख कमियों की पहचान की है जिनके नाम हैं - *ज्ञान की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, सरकारी निवेश तथा ऋण की कमी, एवं बाज़ार अर्थव्यवस्था की कमी*। भारतीय कृषि में जो गिरावट आई है उसके कई कारण हैं - उपज स्तरों में स्थिरता, बीजों और फसलों की नई किस्मों की सीमित शुरुआत, वर्षाधीन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए "टेक्नोलोजिकल ब्रेकथ्रू" का अभाव, कृषि क्षेत्र में कीमतों उत्पादन तथा व्यक्तिगत जोखिमों के लिए प्रभावी जोखिम मिटिगेन्ट्स का अभाव, आदि। एक अन्य संभावित कारण

सारणी 2 : 2009-10 में हिस्सा तथा सेक्टरगत वृद्धि

(प्रतिशत)

	एनएसडीपी की वृद्धि दर				एनएसडीपी में हिस्सा		
	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	उद्योग	सेवाएं	एनएसडीपी	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	उद्योग	सेवाएं
ओडिशा	9.7	-2.6	11.6	8.5	21.1	17.3	61.7
पूर्वी राज्य*	2.7	1.2	11.8	8.4	20.4	12.5	67.1
अखिल भारतीय-एनडीपी	0.4	7.7	10.0	8.1	15.2	16.5	68.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

* पूर्वी राज्यों में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड आते हैं।

विशेषकर सरकारी तथा निजी क्षेत्र निवेश में गिरावट है हालांकि हाल में क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी हुई है। यह गिरावट कृषि उत्पादन में गिरावट का एक मुख्य कारण है और इसी से देहाती इलाकों में गरीबी पैदा होती है। इस गिरावट में, वैल्यू एडिशन के कम स्तर, कृषि प्रसंस्करण पर कम ध्यान देना, अपर्याप्त विपणन लिंकेजिज़ (खास तौर पर लघु और सीमान्त कृषकों हेतु), का भी काफी हाथ रहा है। कई अध्ययनों ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े, कम प्रौद्योगिकी इनपुट्स, गैर-टिकाऊ-जल प्रबन्धन तथा संसाधन उपयोग, भूमि पर जन संख्या का बढ़ता दबाव, भूमि का डिग्रेडेशन, यंत्रीकरण का कम स्तर, उर्वरकों की कम खपत आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जो भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनेंगे।

ओडिशा में कृषि

10. हालांकि ओडिशा का कृषि क्षेत्र, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में केवल 20 प्रतिशत के आसपास योगदान देता है फिर भी यह राज्य की कुल वर्कफोर्स के 60 प्रतिशत से अधिक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रोज़गार तथा सस्टेनेन्स देता है। इस अर्थ में कृषि क्षेत्र आज भी ओडिशा की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा है। ओडिशा के 2010-11 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वृद्धि में व्यापक वार्षिक विभिन्नताओं के बावजूद, कृषि क्षेत्र, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसतन 4.8 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है।

11. 2010-11 में, ओडिशा की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, 24,356 रुपए थी जो कि अखिल भारतीय वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 35,917 रुपए का लगभग 68 प्रतिशत था। एनएसएसओ के 64 वें राउंड के अनुसार, देहाती और शहरी ओडिशा के लिए, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई)[2] संबंधित राष्ट्रीय औसतों से नीचे था। ओडिशा के लिए देहाती तथा शहरी क्षेत्रों, दोनों के लिए, ऐंजल अनुपात (जो कि कुल व्यय में खाद्य व्यय के हिस्से को मापता है और जो कि जीवन-स्तर के संकेत के रूप में, व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है आम तौर पर अखिल भारतीय स्तर से ऊँचा ही रहता है। खाद्य तथा गैर-खाद्य उपभोग व्यवहार में, औसत भारतीय, ओडिशा के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक खर्च करता है। नवीनतम भारतीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, 1999-00 से 2007-08 की अवधि हेतु, सभी भारतीय राज्यों में से, ओडिशा का स्थान नीचे से दूसरा था।

12. संक्षेप में उपर्युक्त पैरामीटर्स बताते हैं कि ओडिशा राज्य, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफी पीछे है और इसे अधोविकसित और गरीब राज्य के दर्जे से ऊपर उठाने के लिए, सभी सेक्टरों और खासतौर पर कृषि क्षेत्र में टिकाऊ तरीके से, उच्च वृद्धि प्राप्त करने की ज़रूरत है। यद्यपि एनएसडीपी में कृषि के योगदान में गिरावट आई है तथापि कृषि में लगी वर्कफोर्स का प्रतिशत, कमोबेश, अपरिवर्तित रहा है। इसका अर्थ यह है कि (क) उत्पादन में किसी प्रकट वृद्धि दिखे बिना ही कृषि में 'ओवर क्राउडिंग' हुई है तथा (ख) कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोज़गार अथवा अधोरोज़गारी बढ़ी है और कृषि श्रम में शून्य अथवा निकट शून्य सीमांत उत्पादकता है।

ओडिशा में कृषि उत्पादन

13. ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य के कुल 15.57 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 6.41 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र खेती योग्य है जिसमें से 6.02 मिलियन हेक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है राज्य के एनएसडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है (सारणी 3)।

राज्य की दो प्रमुख फसलों की परफोर्मेन्स नीचे संक्षेप में दी गई है।

चावल

14. 2011-12 में राज्य में 6.9 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ जिससे इसका स्थान पांचवां रहा। देश में हुए कुल 102.7 मिलियन टन चावल के उत्पादन में इसका हिस्सा 6.7 प्रतिशत रहा जबकि 2000-01 में यह 5.4 प्रतिशत तथा 2004-05 में 7.8 प्रतिशत था (सारणी 4)। राज्य में चावल उत्पादन की प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि हालांकि गत समय से, पूर्ण अर्थों में, चावल की फसल के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है मगर हाल के वर्षों में अखिल भारतीय स्तर में इसका हिस्सा गिरा है। शायद ऐसा देश के अन्य भागों में चावल के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ है। हाल के वर्षों

[2] मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतक है जिसका उपयोग जीवन स्तर की तुलना तथा गरीबी की मात्रा निकालने के लिए किया जाता है।

सारणी 3 : अखिल भारतीय एनडीपी की तुलना में ओडिशा के कृषि एनएसडीपी का प्रतिशत हिस्सा

मदें/सेक्टर	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
	ओडिशा						
कृषि और संबद्ध कार्य	25.5	25.2	22.8	22.0	20.8	21.1	20.6
जिनमें से : कृषि	79.5	79.5	79.2	79.8	79.2	81.4	81.3
वानिकी और लॉगिंग	15.0	14.9	15.1	14.6	14.9	13.4	13.3
फिशिंग	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	5.2	5.5
	भारत						
कृषि और संबद्ध कार्य	19.9	19.1	18.1	17.5	16.4	15.2	15.0
जिनमें से : कृषि	84.0	84.3	84.3	84.8	84.4	84.2	84.7
वानिकी और लॉगिंग	11.5	11.2	11.1	10.6	10.9	11.2	10.8
फिशिंग	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5

स्रोत : 1. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, ओडिशा सरकार

में चावल का क्षेत्र और उपज, अखिल भारतीय स्तर की तुलना में गिरी है। 2010-11 में चावल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 3.0 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि 2011-12 में उपज 2.2 प्रतिशत घटी।

दालें

15. हाल के वर्षों में राज्य में दालों के उत्पादन में अन्य फसलों की तुलना में वृद्धि दिखाई दी है। राज्य ने 2011-12 में 0.4 मिलियन टन दलहन का उत्पादन किया जो कि वर्ष के दौरान अखिल भारतीय उत्पादन का 2.5 प्रतिशत था। राज्य ने 2000-01 तथा 2004-05 के दौरान लगभग 0.2 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया जो कि संबंधित वर्षों में, अखिल भारतीय दलहन उत्पादन का लगभग 2.0 प्रतिशत बनता था। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्य में दलहन की खेती के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र में गिरावट आई जब कि उपज थोड़ी सी बढ़ी।

घ. ओडिशा में कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

16. अब मैं वृहत् और सूक्ष्म तत्वों का उल्लेख करूंगा जो कि राज्य के कृषि क्षेत्र के सम्मुख चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं। वृहत तत्व हैं -प्राथमिक क्षेत्र में टिकाऊ वृद्धि का अभाव, पहुंच और मूल्य की दृष्टि से खद्यान्न बाज़ारों में अस्थिरता, तथा आधारिक बुनियादी ढांचे की कमी। सूक्ष्म तत्व हैं -भूमि जैसे संसाधनों तथा जल, वन तथा सरकारी जमीनों जैसे साझी संपत्ति के संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण का अभाव, जमीन और वन संसाधनों का डीजेनरेशन तथा

सारणी 4 : प्रमुख फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज : भारत तथा ओडिशा

(प्रतिशत)

राज्य / भारत	अखिल भारतीय में हिस्सा						वृद्धि दर 2011-12		
	2000-01		2004-05		2011-12				
	क्षे.	उत्पा.	क्षे.	उत्पा.	क्षे.	उत्पा.	क्षे.	उत्पा.	उप
चावल									
ओडिशा	9.9	5.4	10.7	7.8	9.7	6.7	2.3	0.0	-2.2
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	4.3	7.8	3.3
दलहन									
ओडिशा	3.0	1.9	2.8	1.9	3.3	2.5	-1.7	3.7	5.5
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	-3.2	-4.5	-1.4
मोटे अनाज									
ओडिशा	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	-11.7	-29.3	-19.9
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	-3.2	-0.3	2.9
तिलहन									
ओडिशा	1.2	0.6	1.1	0.7	1.2	0.6	7.0	8.1	1.0
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	0.6	-1.8	-2.4
गन्ना									
ओडिशा	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	-4.3	-19.5	-15.8
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	2.8	2.6	-0.2
कपास									
ओडिशा	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	37.8	30.0	-5.6
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	9.3	2.0	-6.7
जूट तथा मेस्टा									
ओडिशा	0.5	0.4	0.3	0.4	2.0	0.9	-5.2	-6.3	-1.0
अखिल भारतीय	100	100	100	100	100	100	5.0	9.7	-89.6

क्षे.: क्षेत्र उत्पा.: उत्पादन उप.: उपज
स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

अवश्रेणीकरण, क्षमता विकास का अभाव तथा उद्यमशीलता के लिए संरचनागत सहायता का अभाव।

17. कई नीतिगत उपायों के बावजूद, ओडिशा, कृषि की दृष्टि से भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बना हुआ है। वे कारण जिनसे ओडिशा में कृषि की उत्पादकता कम बनी हुई है, वे हैं - पारंपरिक खेती विधियाँ, अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, रासायनिक उर्वरक, देशी खाद आदि का कम उपयोग, ऑपरेशनल जोत का अलाभकारी आकार, अधिक काश्तकारी, कृषि में कम पूंजी निर्माण तथा निवेश, अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा तथा सेवाएं, तथा अनुपयुक्त नीति वातावरण। उपज बढ़ाने वाले दो इनपुट्स - सिंचाई तथा उर्वरकों का कम प्रयोग - ये ऐसे दो तात्कालिक तथा महत्त्वपूर्ण प्रकृति के निर्धारक तत्व हैं जो ओडिशा में कम कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी हैं।

18. संक्षेप में ओडिशा के कृषि विकास के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, वे कमोबेश वही चुनौतियां हैं, जो कुछ प्रकरणों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस की जा रही हैं। अतः आडिशा में कृषि का 'स्वोट विश्लेषण' सांझी तथा स्वभावगत विशिष्टताएं बयान करेगा (प्रदर्श 1)। अब मैं संक्षेप में कमजोरियों और खतरों से संबंधित कुछ विशेषताओं का वर्णन करूंगा।

भू-उपयोग पैटर्न तथा मृदा गुणवत्ता कमज़ोर होना

19. 1999-2000 से 2009-10 के बीच की दस वर्ष की अवधि में कुल खेती योग्य क्षेत्र लगभग 72 लाख हेक्टे. से घटकर 68 लाख हेक्टे. रह गया है जबकि निवल बुवाई क्षेत्र 61 लाख हेक्टे. से घटकर 56 लाख हेक्टे. रह गया है।

इसी अवधि में परती भूमि 6.8 लाख हेक्टे. से बढ़कर 8.35 लाख हेक्टे. हो गई है। खेती योग्य भूमि में से लगभग 2 तिहाई भूमि अम्लीय है जिसमें विभिन्न डिग्री की एसिडिटि विद्यमान है। इसके अतिरिक्त खेती योग्य ज़मीन का लगभग 7 प्रतिशत लवणीय (खारी) है। इसी अवधि में सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 117 प्रतिशत वृद्धि होने तथा औसत फसल सधनता 137 प्रतिशत से बढ़कर 163 प्रतिशत हो जाने के बावजूद सकल फसलित क्षेत्र में एक ठहराव बना हुआ है तथा राज्य का कृषि उत्पादन, तथा उत्पादकता भी ठहरी हुई है।

20. मृदा परीक्षण का वर्तमान बुनियादी ढांचा एकदम अपर्याप्त है तथा किसानों में, मृदा परीक्षण करवाने की कोई प्रवृत्ति भी नहीं है। उर्वरकों के अवैज्ञानिक प्रयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट की प्रक्रिया और भी तेज़ हो गई है। इससे एक ही जगह मृदा परीक्षण,

प्रदर्श 1 : ओडिशा में कृषि का स्वोट विश्लेषण

मज़बूतियां	कमज़ोरियां
क) दस कृषि जलवायु अंचल	क कमजोर भू-उपयोग तथा मृदा गुणवत्ता
ख) काफी (इन्लैण्ड) अंतर्देशीय जल	ख छोटी/सीमांत जोतों की अधिकता
ग) केबीके तथा आरसेटीज़ का व्यापक नेटवर्क	ग फसल विविधता का कम स्तर
घ) जलाशयों तथा ऊर्जा निर्माण के लिए अनुकूल टैरेन	घ मशीनी करण का स्तर कम होना
ङ) केसीसी का व्यापक कवरेज	ङ सिंचाई का स्तर कम होना
च) विविध वन संपदा	च उर्वरकों का प्रयोग कम होना
छ) कम लागत वाला जीवन यापन	छ बीज प्रतिस्थापन अनुपात कम होना
ज) राज्य सरकार की सक्रिय सहभागिता	ज उत्पादकता कम होना
झ) लम्बा समुद्री तट	झ पूंजी निर्माण कम होना
ञ) काफी संख्या में वाणिज्य बैंकों की देहाती शाखाएं उपलब्ध	ञ विस्तार सेवाएं पर्याप्त न होना
	ट कृषि वित्तपोषण कम होना
	ठ कृषि हेतु ऊर्जा का उपयोग कम होना
	ड फसलोत्तर प्रबंधन पर्याप्त न होना
	ढ विपणन, ट्रांसपोर्ट तथा भौतिक बुनियादी सुविधाएं कम होना
	ण बाजारों में बिचौलियों द्वारा शोषण
	त कमज़ोर गुणवत्ता वाला पशुधन-कृत्रिम गर्भाधान की अपर्याप्तता
	थ जोखिम प्रबंधन तथा बीमा कवरेज कमजोर होना
	द कृषि उद्यमियों का अभाव

प्रदर्श 1 : ओडिशा में कृषि का स्वोट विश्लेषण

अवसर	ख़तरे / चुनौतियां
क) भू-जल उपयोग की भारी संभावना क्योंकि केवल क्षमता के 18 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ है।	क) बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आना
ख) मिश्रित / एकीकृत फार्मिंग हेतु संभावना	ख) अनुपयुक्त जल प्रबन्धन प्रणालियाँ
ग) विविध कृषि जलवायु स्थितियां तथा काफी हाइलैण्ड्स जो हार्टीकल्चर के अनुकूल हैं	ग) खेती के अंर्गत आने वाला क्षेत्र घट रहा है।
घ) फसल विविधीकरण की संभावना	घ) विभिन्न कृषि जलवायु अंचलों हेतु उपयुक्त फसल पैटर्न्ज़ का अभाव
ङ) विशेष योजनाएं जैसे- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, राष्ट्रीय हार्टीकल्चर मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ एमजीएनआरईएस, तिलहनों के लिए एकीकृत योजना.	ङ) कृषि प्रौद्योगिकी का कमज़ोर प्रसार
च) श्रम उपलब्धता सीमित होने से फार्म मशीनीकरण उठान पर है.	च) बदलती खाद्य आदतें, गेहूं तथा कॉर्न आधारित खाद्य वस्तुओं को प्राथमिकता
छ) कृषि आधारित उद्योग	छ) जलवायु परिवर्तन तथा कृषि पर उसका प्रभाव
ज) बड़ी संख्या में केसीसी की लीवरेजिंग	ज) बाज़ार की स्थिरता अनिश्चित होना तथा किसानों को उचित दाम न मिलना
झ) रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग के कारण ऑर्गेनिक खेती की संभावना	झ) बाज़ार में बिचौलियों द्वारा शोषण
ञ) जैव कचरा आधारित कम्पोस्टिंग इकाइयाँ तथा ग्रीन उर्वरकों की इकाइयां लगाने की संभावना	ञ) मृदा का बढ़ता अवश्रेणीकरण
त) डेरी विकास उद्यमों के लिए क्लस्टर अप्रोच	त) श्रमिकों की कमी
थ) पैक्स (जो कि सुधार के संकेत दे रही हैं)। तथा कृषक संगठनों को प्रोत्साहित करना	थ) क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण की बजाय क्रेडिट पर अधिक ध्यान
द) पूर्व सक्रिय सांस्थानिक व्यवस्थाएं - एसएलबीसी /डीसीसी	द) क्रेडिट कल्चर से जुड़ी चिंताएं
ध) बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाएं	
न) इनवार्ड, ब्रैकिशवाटर तथा समुद्री मत्स्यपालन का विकास	
प) मत्स्यपालन तथा सिंचाई के लिए काफी मात्रा में जल संसाधन	

डायग्नोसिस, तथा किसानों के लिए सुधार कार्रवाई संबंधी परामर्श की जरूरत स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है। निजी उद्यमियों द्वारा एग्रिक्लिनिक तथा एग्रि-बिज़िनेस-सेंटर्ज़ स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए गोबर की खाद तथा हरी खाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। हरी खाद, जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों के उत्पादन के लिए लिन्केजेज़ तथा कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहन देने के कार्य को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों तथा बैंकों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

छोटी / सीमान्त भू जोतों की प्रचुरता

21. राज्य में कृषि क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहां छोटे/ सीमांत कृषकों/कृषि मज़दूरों की प्रधानता है। 86 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास 2 हैक्टेयर से भी कम की जोत है और 60 प्रतिशत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भू-जोत है या बिल्कुल भी नहीं है। कृषि जनगणना के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 26 लाख सीमांत कृषकों (कुल किसानों का 60 प्रतिशत) के पास 33.50 लाख हेक्टेयर (कुल भूमि का 27 प्रतिशत) भूमि है, जिसमें प्रति जोत, लगभग औसतन 1.3 एकड़ भूमि आती है। इसी प्रकार 11.60 लाख किसानों, जो लघुकृषक श्रेणी में आते हैं, के पास, 40 लाख एकड़ भूमि (कुल ज़मीन का 31 प्रतिशत) है। इस प्रकार, 58 प्रतिशत भूमि 86 प्रतिशत किसानों के पास है जबकि शेष 6 लाख किसानों (कुल किसानों का 14 प्रतिशत) के पास लगभग 52 लाख एकड़ भूमि (कुल भूमि का 42 प्रतिशत) है तथा औसत जोत 8.7 एकड़ है। इससे प्रकट होता है कि भूमि का विषम वितरण है और ऐसी स्थिति में लघु और सीमांत कृषकों के लिए उपयुक्त कार्यनीतियाँ बनानी होंगी।

22. ओडिशा के देहाती इलाकों में परिवारिक प्रणालियों के विघटन तथा इस क्षेत्र पर अधिकांश लोगों की निर्भरता की वजह से, भू जोतों के और अधिक विखण्डन से, स्थिति और भी विकट हो गई है। भविष्य में आगे बड़े पैमाने पर भू जोतों का और विखण्डन न हो, इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। भू जोतें छोटी होने से जोखिम लेने की क्षमता कम हो जाती है तथा प्रौद्योगिकी अपनाना, फार्ममशीनीकरण तथा उर्वरक प्रयोग भी कम होता है जिसके परिणामस्वरूप निवेश भी कम होता है और खेती की उत्पादकता में भी गिरावट आती है।

फसल विविधता का कमज़ोर स्तर

23. राज्य में फसल विविधता बहुत ही कम है हालांकि राज्य के कुछ भागों में इस संबंध में कुछ प्रयास किये गये हैं। कुछ किसान पारंपरिक फसलों से हटकर विविधता के रूप में पुष्पों की खेती, प्याज़, हल्दी तथा मशरूम की खेती भी अपना रहे हैं। कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को समर्थन देने वाली भारत सरकार की योजना के बावजूद, फसलों की विविधता, अनुपयुक्त मार्केट लिंकेज तथा कोल्ड स्टोरेज / प्याज़ भण्डारण/ग्रामीण गोदामों इत्यादि जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर, के अभाव से ग्रस्त है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत ओडिशा में केवल 300 ग्रामीण गोदाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें भंडारण क्षमता सीमित है तथा कोई एक्रेडिटेशन नहीं है (समूचे ओडिशा में केवल सेन्ट्रल वायर हाउसिंग द्वारा रायगढ़ में स्थापित एक स्टोरेज को एक्रेडिटेशन प्राप्त है)।

कम फार्म मशीनीकरण - ऊर्जा का अत्यन्त कम प्रयोग

24. मशीनी कृषि वह प्रक्रिया है जो फार्म आउटपुट तथा फार्म वर्कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कार्य को मशीनी बनाने के लिए 'कृषि-मशीनरी' का प्रयोग करती है। उत्पादकता बढ़ाने के उपायों के लिए गहन कृषि मशीनीकरण ज़रूरी है जिसके लिए ऊर्जा की समुचित आपूर्ति और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्र्ज़ ज़रूरी हैं। इस संदर्भ में ऊर्जा, जो कि कृषि मशीनीकरण के लिए जरूरी है, की खपत का कम स्तर, यह इंगित करता है कि, राज्य के कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का अभाव है (सारणी 5)।

जैसा कि देखा जा सकता है कृषि के लिए ऊर्जा खपत 2 प्रतिशत से भी कम है जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 30 प्रतिशत है।

सिंचाई का कमज़ोर स्तर

25. उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा, वर्षाजल, प्रतिशत सकल फसल क्षेत्र, सिंचित तथा ऑपरेशनल जोत का आकार इनका, फसलों की उपज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अखिल भारतीय औसत से तुलना की जाए तो ज्ञात होता है कि राज्य में सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले विस्तार क्षेत्रों में प्रगति काफी तेज़ रही है। 1999-2000 के दौरान राज्य में सभी फसलों के अन्तर्गत आने वाला 29.5 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित था जो कि 2008-09 में बढ़कर 35.0 प्रतिशत हो गया। तथापि संबंधित अखिल भारतीय स्तर 40.8 प्रतिशत तथा 45.3 प्रतिशत थे जो कि ऊँचे थे। इसी अवधि में चावल उत्पादन के लिए सिंचित क्षेत्र, 40.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.8 प्रतिशत हो गया जबकि अखिल भारतीय स्तर 53.9 प्रतिशत से बढ़कर 58.7 प्रतिशत हुआ (सारणी 6)।

सारणी 5 : ओडिशा में सेक्टरगत ऊर्जा खपत

(मिलियन यूनिट में)

वर्ष	उद्योग	सिंचाई और कृषि
2000-01	2,622 (43.06)	186 (3.05)
2004-05	3,742 (49.25)	147 (1.93)
2009-10	6,114 (50.02)	153 (1.25)

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े ओडिशा में ऊर्जा की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 उड़ीसा सरकार

सारणी 6 : सिंचित क्षेत्र : भारत तथा ओडिशा

(प्रतिशत)

फसलें	1999-2000		2008-09	
	ओडिशा	भारत	ओडिशा	भारत
चावल	40.7	53.9	46.8	58.7
गेहूं	100.0	87.2	उपलब्ध नहीं	91.3
दालें	6.6	16.1	7.7	16.0
तिलहन	12.9	25.2	18.7	27.1
गन्ना	100.0	92.0	100.0	93.7
कपास	3.6	35.2	उपलब्ध नहीं	35.3
सभी फसलें	29.5	40.8	35.0	45.3

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

उर्वरकों का कम उपयोग

26. 2008-09 के दौरान राज्य में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के संदर्भ में, उर्वरकों का उपयोग, अखिल भारतीय स्तर के 128.6 किलोग्राम की तुलना में बहुत कम, अर्थात् 61.6% था (सारणी-7)। अर्थात् ओडिशा की उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत, अखिल भारतीय खपत की 50% से भी कम है। इसी प्रकार राज्य में कीटनाशक की खपत अखिल भारतीय स्तरों से बहुत ही कम है

सारणी 7 : उर्वरक खपत : भारत तथा ओडिशा

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)

राज्य/ भारत	उर्वरक	2007-08				2008-09			
		एन	पी	के	जोड़	एन	पी	के	जोड़
ओडिशा	कि.ग्रा./हे	31.22	13.40	7.23	51.85	34.32	17.05	10.28	61.64
	अनुपात	4.3	1.9	1.0		3.3	1.7	1.0	
अखिल भारतीय	कि.ग्रा./हे	74.79	28.60	13.67	117.07	77.90	33.69	17.10	128.58
	अनुपात	5.5	2.1	1.0		4.6	2.0	1.0	

एन: नाइट्रोजन पी : फॉस्फोरस के : पोटाशियम
स्रोत : कृषि मंत्रालय भारत सरकार

सारणी 8 : 2009-10 के दौरान तुलनात्मक फसल उत्पादकता

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)

राज्य	धान	गेहूं	दालें	खाद्यान्न	तिलहन	सब्ज़ियां
पश्चिम बंगाल	2,611	2,650	760	2,561	989	17,153
आंध्र प्रदेश	3,056	900	722	2,441	760	16,230
बिहार	1,138	2,078	801	1,570	1,036	16,188
झारखंड	1,505	1,550	734	1,320	480	15,023
ओडिशा	1,609	1,561	460	1,258	776	12,910
अखिल भारतीय औसत	2,130	2,830	625	1,798	955	16,177

स्रोत : नाबार्ड

कम उत्पादकता

27. हालांकि राज्य के कुछ ज़िलों ने अधिक उच्चतर उत्पादकता स्तर प्राप्त कर लिए हैं फिर भी कृषि उत्पादकता चिंता का विषय बनी हुई है क्यों कि कुछ पड़ोसी राज्यों की तुलना में ओडिशा में कुछ प्रमुख फसलों की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है (सारणी 8)।

कम पूंजी निर्माण

28. यहां यह ज्ञातव्य है कि कुल पूंजी परिव्यय में "कृषि पर पूंजी परिव्यय" के हिस्से में, समेकित राज्यों के स्तर पर गिरावट आई है और ओडिशा में तो दशक के प्रथमार्द्ध की तुलना में, 2000 के द्वितीय अर्द्ध में, गिरावट काफी तेज़ी से आई है। ओडिशा तथा समेकित राज्यों में कृषि पर पूंजी परिव्यय के हिस्से में आई गिरावट की प्रवृत्ति 2010-11 (संशो. अनुमान) के दौरान भी जारी रही। राज्य में कृषि में पूंजी निर्माण, लगभग 12 प्रतिशत रहा है जबकि राष्ट्रीय आंकड़े लगभग 20 प्रतिशत के हैं। तथापि कुलपूंजी परिव्यय में, कृषि पर पूंजी परिव्यय के हिस्से में ओडिशा तथा समेकित राज्यों, दोनों के लिए, 2011-12 में वृद्धि बजटिड है (सारणी 9)।

सारणी 9 : कुल पूंजी परिव्यय में कृषि पर पूंजी परिव्यय का हिस्सा

(प्रतिशत)

	2000-05 (औसत)	2005-10 (औसत)	2010-11 (आरई)	2011-12 (बीई)
ओडिशा	6.0	3.1	1.7	2.7
सभी राज्य समेकित	5.1	4.3	2.4	2.8

बीई : बजट अनुमान

ङ. अपर्याप्त कृषि वित्तपोषण

बैंकिंग नेटवर्क

29. जून 2011 के अंत में ओडिशा में 46 अनुसूचित वाणिज्य बैंक कार्यरत थे जिनमें से 25 सरकारी क्षेत्र के बैंक, 14 निजी क्षेत्र के बैंक, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा दो विदेशी बैंक थे। राज्य में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल शाखाएं (क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर) जून 2011 के अंत में 2,136 थी। इन शाखाओं का पोपुलेशन ग्रुपवार वितरण दर्शाता है कि राज्य की कुल शाखाओं में से 45.5 प्रतिशत ग्रामीण शाखाएं थी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर उनका हिस्सा 29.2 प्रतिशत था (सारणी 10)।

ऋण जमा अनुपात तथा ऋण प्रोफाइल

30. जून 2011 के अंत की स्थिति में ओडिशा में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का ऋण जमा (सीडी) अनुपात 49.2 प्रतिशत था जो जून 2010 के अंत की स्थिति से कम था तथा अखिल भारतीय स्तर की स्थिति 75.6 प्रतिशत से भी नीचा था। इसके अलावा ओडिशा में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया बैंक ऋण में 65.6 प्रतिशत का अधिकतम हिस्सा शहरी शाखाओं का रहा, जिसके बाद अर्द्धशहरी शाखाओं का स्थान रहा (17.6 प्रतिशत) जिससे, देहाती शाखाओं की प्रचुरता के बावजूद, राज्य में कृषि क्षेत्र में ऋण का विषम प्रवाह रहा।

कृषि ऋण

31. ओडिशा में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल प्रयुक्त ऋण में कृषि के हिस्से में वृद्धि हुई और यह मार्च 2010 के अंत की

सारणी 10 : ओडिशा में बैंकिंग का फैलाव

(राशि बिलियन रुपए में)

	कुल		ग्रामीण	
	ओडिशा	भारत	ओडिशा	भारत
कारोबार/शाखा	0.52	1.04	0.19	0.24
जमाराशि / कार्यालय	0.35	0.60	0.13	0.15
क्रेडिट / कार्यालय	0.17	0.45	0.07	0.09
जनसंख्या / शाखा	13,936	13,425	20,168	24,859
प्रति व्यक्ति जमाराशि (रु.)	25,116	44,379	6,355	5,967
प्रति व्यक्ति क्रेडिट (रु.)	12,469	33,369	3,303	3,571

स्रोत:अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और क्रेडिट पर तिमाही सांख्यिकी

स्थिति के 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया, जबकि उद्योग का हिस्सा सर्वाधिक अर्थात् 32.7 प्रतिशत रहा जिसके बाद इसी अवधि में, व्यक्तिगत ऋण का हिस्सा, 23.8 प्रतिशत रहा। तथापि गत दशक के दौरान, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित प्रवृत्ति की तुलना में, काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा। अंशतः यह ओडिशा में अस्थिर कृषि उत्पादन को परिलक्षित करती है और अंशतः बार-बार सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा अपर्याप्त सपोर्ट प्रणाली को परिलक्षित करती है (चार्ट 1)।

32. मार्च 2011 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा 49.2 प्रतिशत था जबकि अखिल भारतीय स्तर 32.8 प्रतिशत था। ओडिशा में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के भीतर कृषि के लिए दिये गये अग्रिमों का हिस्सा अधिकतम था (41.6 प्रतिशत), जिसके बाद लघु उद्यमों का स्थान था (37.3 प्रतिशत), आवास ऋण का स्थान इसके बाद था (15.3 प्रतिशत)। राज्य में कृषि हेतु दिए गए अग्रिमों की वसूली, 2009-10 के दौरान की अखिल भारतीय स्थिति की तुलना में कम थी। ओडिशा के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए सीधे अग्रिमों हेतु कुल मांग से वसूली का प्रतिशत, जून 2009 के अंत के 63.7 प्रतिशत से घटकर जून अंत 2010 में 56.5 प्रतिशत रह गया। इस बात पर बल देने की जरूरत है कि उस क्षेत्र के लिए स्थिर तथा टिकाऊ ऋण प्रवाह एक स्वस्थ क्रेडिट कल्चर पर निर्भर करता है। वसूली निष्पादन, को सुधारने की ज़रूरत भी है और

चार्ट 1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की प्रवृत्तियाँ

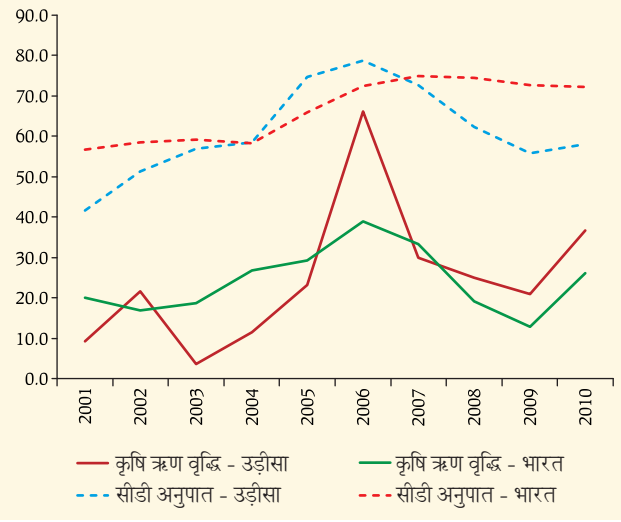

इसे सुधारा भी जा सकता है। यदि (क) बैंक उधारकर्ताओं के साथ निरन्तर और सार्थक एनगेजमेन्ट के लिए पूर्वसक्रिय कदम उठाएं, (ख) राज्य मशीनरी पूर्वसक्रिय भूमिका निभाए, (ग) ओडिशा पब्लिक डेट रिकवरी अधिनियम में आवश्यक भूमिका निभाएं तथा कृषि जोखिम निधि की स्थापना।

33. बैंकों के लिए आवश्यक होगा कि वे कृषक परिवार की समूची नकदी आवश्यकताओं-अल्पावधि और दीर्घावधि - तथा साथ ही कर्ज स्वैप एवं व्यक्तिगत तथा कारोबारी ज़रूरतों के लिए वित्त प्रदान करें। यह भी ज़रूरी है कि बैंक, कृषि कारोबारी संस्थाओं निश एग्रीकल्चर, संबद्ध सेक्टरों तथा उत्पादन पूर्व और पश्चात की लिंकेजों को मजबूत बनाने के लिए सप्लाई चेन्ज के वित्तपोषण के अवसरों की ओर भी देखें। यहां, वित्तपोषक संस्थाओं के पास प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध मैनपावर की उपलब्धता तथा इन संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबन्धन का प्रत्यक्ष जुड़ाव और कटिबद्धता एक नाजुक तत्व होगा न कि केवल लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाना।

34. राज्य में इसकी अत्यावश्यक संगतता का एक अन्य पहलू है - काश्तकारों तथा मौखिक पट्टाधारकों तक, बैंक ऋण की पहुंच का अभाव। आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने संयुक्त जिम्मेदारी समूहों (जेएलजी) तथा लाइसेंसिंग विधा के जरिये, काश्तकारों / मौखिक पट्टाधारियों को भी बैंक ऋण का पात्र बनाने के प्रयास किए हैं। हालांकि जेएलजी आंदोलन ने राज्य में गति पकड़ी है फिर भी यह देखा गया है कि जेएलजी अभी काफी मात्रा में ऋण नहीं ले रहे हैं और जेएलजी कृषक, केवल छोटी राशि के ऋणों तक ही, अपनी पहुंच बना पा रहे हैं और भूमिहीन लोगों को उनके द्वारा खेती की जा रही ज़मीन के अनुपात में ऋण न देकर, केवल गैर कृषि गतिविधियों के लिए ही ऋण दिया जा रहा है क्योंकि उनकी जुताई के अभिलेख के अभाव में उनके द्वारा ज़मीन पर की जा रही खेती को मान्यता नहीं दी जाती।

च : आगे की राह

35. आज राज्य के सामने, इस क्षेत्र को विकसित करने की राह में जो समस्याएं और चुनौतियाँ आ रही हैं उनका उल्लेख करने के बाद अब मैं एक व्यापक फ्रेमवर्क का सुझाव देने का प्रयत्न करूंगा जो राज्य में कृषि उत्पादकता और उत्पादन तथा किसानों की आय का स्तर बढ़ाने तथा इस सेक्टर को साध्य और टिकाऊ बनाने के लिए 'आगे की राह' सिद्ध हो सकता है। इस कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान फसल प्रणाली में सुधार लाने, फसलों

का विविधीकरण करने तथा कम उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत होगी। इस कार्यनीति में, बीजों तथा उर्वरकों जैसे महत्त्वपूर्ण इनपुट्स की आपूर्ति के प्रबंधन, किफायती फार्म मशीनीकरण, औनेपौने भाव पर बिक्री करने की स्थिति को रोकने के लिए उपयुक्त फसलोत्तर व्यवस्थाओं तथा उपयुक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों के समाधान पर बल होना चाहिए। हमें कृषकों, खासकर लघु और सीमान्त कृषकों के प्रयासों को सहक्रियाशील बनाने के मॉडल अपनाने पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा ही एक दृष्टिकोण 'कॉन्ग्रीगेशन- मॉडल' हो सकता है जो उत्पादक कंपनियाँ/सहकारी संस्थाओं/जेएलजी के माध्यम से ऐसे किसानों, खासकर छोटे और सीमान्त किसानों, जो व्यक्तिगत क्षमता नहीं रखते, के समूहों के निर्माण को सुनिश्चित करता है।

36. राज्य में एक नई हरित क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 'फार्मर' (F.A.R.M.E.R.) नामक एक फ्रेमवर्क पर विचार किया जा सकता है। इस शब्द का प्रत्येक अक्षर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से, किसानों की ज़िंदगी/आजीविका तथा कृषि विकास से जुड़ा है। (प्रदर्श-2)।

37. चूंकि इस कॉनक्लेव में सरकार, सरकारी एजेन्सियों वित्तीय संस्थाओं तथा शोध संस्थाओं के स्टेकहोल्डर्स शामिल है, अतः मैं 'R' घटक पर अपना ध्यान केन्द्रित करूंगा जो 'वित्त' से अतिरिक्त अन्य संसाधनों से जुड़ा है। यह घटक प्रमुखतः बीज से जुड़े मुद्दों, विस्तार प्रणालियों, मृदा स्वास्थ्य फार्म मशीनीकरण आदि से जुड़ा है। इस संबंध में मैं अब कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

विस्तार प्रणाली

38. ओडिशा में शोधकार्य करने वाली कई प्रमुख संस्थाएं हैं परन्तु राज्य में कृषि विस्तार प्रणाली एकदम सुप्तावस्था में बनी हुई है। यद्यपि कृषि विज्ञान केन्द्र तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं और प्रायः सभी जिलों में विद्यमान हैं। फिर भी प्रभावी प्रौद्योगिकी विस्तार तथा उसे लागू करने की स्थिति सीमित हैं। राज्य विस्तार मशीनरी की वर्तमान प्रणाली के वित्तीय संसाधन और फैलाव सीमित है और प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए स्थानीय कौशल निर्मित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः जरूरी है कि वैकल्पिक/पूरक विस्तार प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाए। किफायती एडोप्शन के लिए टेक्नोलोजी प्रदान करने की डिजिटल/

प्रदर्श 2 : F.A.R.M.E.R. पर आधारित फ्रेमवर्क

एफ (F) वित्त	ऋण उपलब्धता समय पर और पर्याप्त होनी चाहिए। केवल क्रेडिट ही नही बल्कि क्रेडिट (उत्पादन तथा उत्पादनोत्तर) बचतों, तथा बीमे सहित वित्तीय सेवाओं के एक संपूर्ण पैकेज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वित्त एक ऐसा महत्त्वपूर्ण इनपुट है जो कृषि के लिए अपेक्षित सभी अन्य संसाधनों को कमाण्ड कर सकता है। फसल ऋण के अतिरिक्त निवेश ऋण कृषि के दीर्घावधि स्थायित्व के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगा।
ए (A) संबद्ध गतिविधियां	विविधीकरण से कृषक परिवारों को बढ़ी हुई आय मिलती है (उदाहरणार्थ, दुधारु गाय से परिवार को दैनिक नकद मिलता है जिससे वे फसलों की क्षति के कारण आए बुरे दिनों में अपना परिवार चला सकते हैं। संबद्ध गतिविधियाँ कृषि में गिरावट के वक्त, एक सुरक्षा प्रदान करती हैं। मिश्रित/एकीकृत कृषि को प्रोत्साहित करना भी अनिवार्य है।
आर (R) जोखिम कम करना	कीमतों, उत्पादन तथा फसल और मौसम संबंधी बीमे, स्वास्थ्य बीमे जैसे व्यक्तिगत जोखिमों के लिए जोखिम कम करने संबंधी उपाय, ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कृषि क्षेत्र की साध्यता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ के समूह बनाकर इन्हें सूक्ष्म बीमे के रूप में किसानों को पैकेज के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। ठेका कृषि, कार्पोरेट कृषि, तथा उत्पादक कंपनियाँ कॉंग्रिगेशन, एकीकरण तथा लिंकेज के कुछ मॉडल है जिन्हें छोटे और सीमांत कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए फसल विविधता/मिश्रित/एकीकृत फार्मिंग तथा प्रभावी विस्तार सेवाएं भी अनिवार्य हैं।
एम (M) विपणन तक पहुँच	कुशल विपणन, जिसमें प्रोड्यूसर कंपनियाँ, ठेका कृषि, वेल्यू चेन, कृषि प्रसंस्करण जैसे नवोन्मेषी दृष्टिकोण शामिल हैं वे भी छोटे और सीमांत कृषकों के लिए खास तौर पर महत्त्वपूर्ण हैं। मूल्य समर्थन प्रणाली भी किसानों के लिए लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ई (E) विस्तार तथा अनुसंधान	अनुसंधान तथा विस्तार जुड़ावों में चारों महत्त्वपूर्ण जोड़े शामिल होने चाहिएँ, प्रयोगशाला से भूमि, भूमि से प्रयोगशाला, भूमि से भूमि तथा प्रयोगशाला से प्रयोगशाला। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि किफायती तरीके से गुणवत्ता युक्त विस्तार तथा अनुसंधान सेवाएं उत्पादकता बढ़ाने तथा जोखिम कम करने की अनिवार्य शर्त है। सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार की एजेंसियों बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों की योजनाओं/ प्रयासों के समामेलन तथा सार्थक विस्तार गतिविधियों के लिए आईसीटी साधारित समाधानों की भी काफी संभावनाएं है।
आर (R) वित्त के अलावा अन्य संसाधन	यह सुनिश्चित करने के लिए कि, कृषि एक लाभकारी और आकर्षक व्यवसाय बना रहे वित्त के अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण संसाधनों, जैसे- जल, बीज, स्वस्थ मृदा, उर्वरक, कीटनाशक, खेती के उपकरण, भण्डारण और वेयर हाऊसिंग सुविधाओं तथा कुशल और उत्पादक मानव संसाधनों, दक्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं आदि की समय पर और पर्याप्त रूप में उपलब्धता भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक/स्पेस टेक्नॉलॉजी/मोबाइल टेलीफोन प्रणालियों तथा किसानों को आवधिक परामर्शिकाएं भेजने का परीक्षण किया जा सकता है। इस संबंध में स्थापित एसएलबीसी की उपसमिति से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह किसानों को पूर्ण विस्तार सहायता प्रदान करने के लिए एक निगरानी योग्य कार्रवाई योजना शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करें।

बीज से जुड़े मुद्दे

39. एक बीज उपलब्धता कार्यक्रम बनाने की भी अत्यंत आवश्यकता है जिसमें उपयुक्त बीज प्रतिस्थापन कार्यनीतियाँ शामिल हों। वांछित किस्म के बीजों की अपेक्षित मात्रा समय पर उपलब्ध होने की सुनिश्चितता की जाए तथा बीज उत्पादकों को वित्त प्रदान किया जाए। बीजों के विकेंद्रीकृत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारीगण स्थानीय एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं तथा गैर-सरकारी संगठनों को बड़ी भूमिका निभाने के लिए समर्थ बना सकते हैं। क्योंकि बीज उत्पादन में बड़ी लागत शामिल होती है, इसलिए, वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे बीज उत्पादकों को अधिक वित्त प्रदान करें। वे बीज प्रसंस्करण तथा किसानों की विपणन समितियों अथवा बीज उत्पादन/प्रोसेसिंग/मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए कार्यशील पूँजी/सावधि ऋण देने पर भी विचार कर सकते हैं।

मृदा स्वास्थ्य तथा पोषण

40. यह एक तथ्य है कि मृदा परीक्षण के लिए वर्तमान बुनियादी ढाँचा एकदम अपर्याप्त है और मृदा परीक्षण करवाने की कृषकों की संस्कृति भी नहीं है। उर्वरकों की खपत भी प्रायः कम होती है और वैज्ञानिक मृदा परीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों द्वारा समर्थित भी नहीं होती। इस संस्कृति को विकसित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्डों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों से जोड़ दिया जाना चाहिए। अतः मृदा परीक्षण डायग्नोसिस तथा कृषकों को सुधार कार्रवाई करने संबंधी परामर्श देने के लिए एक ही जगह पर समाधान करने की ज़रूरत है। निजी एग्रीक्लीनिक्स तथा एग्री-बिज़नेस केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़रूरत है। रासायनिक उर्वरकों की ठहरी हुई आपूर्ति के पूरक के रूप में जैव खाद तथा हरित खाद को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न परियोजनाओं तथा हरी खाद जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों के लिए लिंकेजों को भी राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान करने की जरूरत है।

फार्म मशीनीकरण

41. कृषि श्रमिकों की उपलब्धता से संबंधित आँकड़े बताते हैं कि कृषि मजदूरों की उपलब्धता घट रही है। उत्पादकता से संबंधित उपायों के लिए छोटे उपकरणों तथा साथ ही पूँजी प्रधान बड़ी फार्म मशीनों, दोनों हेतु, विस्तृत फार्म मशीनों की ज़रूरत है। चूँकि छोटे किसान फार्म मशीनें नही खरीद पाते इसलिए सामूहिक मॉडल या उपकरण किराए पर लेने के मॉडलों पर विचार करने की जरूरत है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को फार्म-मशीनीकरण-हब्स के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि वे अपने सदस्यों को फार्म मशीनें किराए पर दे सकें। कृषक क्लबों, ग्राम वाटरशैड समितियों/वाडी समितियों को भी स्वयं के अपने फार्म मशीन हब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में फार्म मशीनों के लिए 'आफ्टर सेलसर्विस' बहुत ही खराब है। व्यक्तिगत प्रशिक्षित उद्यमियों को फार्म-मशीन सर्विसिंग उद्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बैंकों को भी अपना वित्त पोषण ट्रैक्टरों और पावर टिलरों के लिए बड़े किसानों को करने की बजाय, विभिन्न छोटी फार्म मशीनों के लिए करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिंचाई

42. ओडिशा में सिंचाई का अधिकतर विकास राज्य सरकार के प्रयास से हुआ है और वाणिज्य बैंकों द्वारा बहुत ही कम वित्तपोषण किया जा रहा है। राज्य सरकार बहुत भारी सब्सिडी प्रदान करती है और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ट्यूब वैल स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ योजनाओं में तो सब्सिडी 80 प्रतिशत तक है। बैंक ऐसी सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा निवेश ऋण बढ़ा कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ट्यूब वैलों से भी और आगे विचार करने की ज़रूरत है। ड्रिप तथा छिड़काव प्रणालियाँ भी ऐसे विकल्प हैं जिनमें जबरदस्त संभावना है।

भंडारण और विपणन

43. भंडारण की जगह की कमी के कारण, आम तौर पर, भारी फसलोत्तर क्षतियाँ होती हैं। फिर भी बड़े भंडारों की स्थापना के लिए बहुत ही कम प्रयास किए गए हैं। टर्मिनल मार्केट्स न के बराबर

हैं तथा ए पी एम सी अधिनियम में संशोधनों के बावजूद, संगठित मंडियाँ/एपीएमसी, अधिक सक्रिय नही है। सब्जियों और फलों के लिए कोल्ड चेन व्यवस्थाएं राज्य में न के बराबर हैं इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र की सहभागिता ली जाए।

छ. निष्कर्ष

44. गत पचास वर्षों में ओडिशा ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग एक दशक खो दिया है। इससे राज्य के विकास, खासकर कृषि क्षेत्र के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत से अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि कृषि की वृद्धि, गैर कृषि क्षेत्रों की वृद्धि के मुकाबले, गरीबी को ज्यादा घटाती है। जिसका अर्थ यह है कि देहातों में गरीबी कम होने का संबंध कृषि और उत्पादकता में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। लिगोन तथा अन्य द्वारा किए गए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों से होने वाली जीडीपी वृद्धि की तुलना में कृषि से होने वाली जीडीपी वृद्धि गरीबी को कम करने में, कम से कम दोगुना प्रभावी होती है। 27.5 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर की तुलना में ओडिशा में 46.4 प्रतिशत गरीबी को देखते हुए राज्य में कृषि विकास की महत्ता बहुत जरूरी है। यहाँ, सेक्टर में हुए विकास की पूर्ण रीति से मॉनिटरिंग तथा निरंतर मूल्यांकन के लिए एसएलबीसी जैसी वर्तमान सांस्थानिक व्यवस्थाओं द्वारा निभाई जा सकने योग्य पूर्व सक्रिय भूमिका पर भी बल दिया जा सकता है।

45. विद्वान और ज्ञानी श्रोताओं की इस सभा में राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर आपसे अपने विचार बांटने में मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। एक सही तथा प्राप्त करने योग्य एजेंडा तथा ठोस कार्रवाई योजना बनाने के लिए इसे सम्मेलन से मेरी ऊँची अपेक्षाएँ रखना एकदम सही ही है क्योंकि इसी से आगामी कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण और त्वरित रूपांतरण होगा। मुझे यकीन है कि राज्य में कृषि के विकास में रुचि रखने वाले सभी जोखिमधारकों के लिए यह सम्मेलन एक सक्रिय प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जिसमें लोग परस्पर चर्चा करें और एक दूसरे से अपना दृष्टिकोण बाँटें। यह सम्मेलन ओडिशा में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक नई राह खोजेगा ताकि उत्पादकता और उत्पादन बढ़े। किसानों के आय-स्तर ऊँचे हों और वित्त पोषक संस्थाओं को लाभकारी कारोबार के अवसर मिलें। कृषि क्षेत्र के त्वरित रूपांतरण के परिणामस्वरूप सभी जोखिमधारकों को ओडिशा में टिकाऊ आधार पर लाभ के फल मिलेंगे, वह ओडिशा जिसे कि पूर्वी भारत में हरित-क्रांति लाने में एक अहम भूमिका निभानी है।

46. मैं अपने अभिभाषण का समापन, इस सम्मेलन के परिणाम की महान अपेक्षाओं की शुरुआत से करना चाहूँगा।

47. आप सभी का धन्यवाद।

संदर्भ

यूरोपियन कमीशन (2000) *मॉनिटरिंग एग्रि-ट्रेड पॉलिसी* कृषि और ग्रामीण विकास महानिदेशालय, दिसम्बर, 2007।

ओडिशा सरकार (2008) स्टेट एग्रिकल्चर पॉलिसी, कृषि विभाग।

ओडिशा सरकार (2010) एक्टिविटी रिपोर्ट 2009-10, कृषि विभाग।

ओडिशा सरकार (2008) आर्थिक सर्वेक्षण, 2010-11.

खान एच.आर.(2008), *सीएबी कॉलिंग*, भारतीय रिज़र्व बैंक, जरवरी-मार्च 2008.

ओईसीडी-एफएओ (2010), एग्रिकल्चरल आउटलुक, 2010-11.

ओईसीडी (2010) ओईसीडी खाद्य, कृषि और मत्स्यपालन वर्किंग पेपर्ज़ सं.23